जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू (राज0)

कमांक :– 498

दिनांक :– 07.02.2025

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश कमांक एफ–7(136)रालसा/संस्था/संविदा सेवा–वाहन/2025/65 दिनांक 04.02.2025 ,राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या पं. 08(1)विधि–2/विरसं(64)/2015 पार्ट II दिनांक 22.01.2025 तथा राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के दिशा–निर्देशों की पालना की सुनिश्चितता के अधीन कार्यात्मक आवश्यकता के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू, स्थाई लोक अदालत, चूरू एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ, तारानगर, सरदारशहर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं विपरीत प्रतिनियुक्ति पर वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक) अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पहले हो) के लिए निम्नानुसार ली जानी हैं :–

क्र.सं	कार्यालय	स्वीकृत (चतुर्थ श्रेणी) संविदा सेवा
01	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू, स्थाई लोक अदालत, चूरू एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समिति, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ, तारानगर, सरदारशहर	11

इच्छुक आवेदक निम्न शर्तों के अधीन अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। कर्मचारीगण का चयन निम्न प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा :–

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के तहत देय होगा।
2. आवेदक को पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।
3. सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो वे ही आवेदन कर सकते हैं।
4. उक्त संवर्ग की सेवायें राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त दिशा–निर्देशों/आदेशों के अधीन प्रभावी होगी।
5. उपरोक्त वर्णित चर्तुथ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर उपरोक्त शर्तों के अधीन सेवाएं देने के इच्छुक कर्मचारी दिनांक 12.02.2025 को दोपहर 01.00 बजे तक संलग्न प्रारूप में इस कार्यालय में अपना आवेदन जरिये ई–मेल dlsa11churu@gmail.com अथवा व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन फॉर्म https://districts.ecourts.gov.in/churu की वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है। आवेदक आगामी निर्देशों की जानकारी हेतु कार्यालय के नोटिस बोर्ड व District Court Churu की वेबसाइट का अवलोकन नियमित रूप से करें। नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
चूरू

क्रमांक :– 499-503

दिनांक :– 07.02.25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू
3. जिला कलेक्टर, चूरू को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUsमें सूचित करने बाबत्।
4. तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त चूरू
5. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरू को जिला न्यायालय, चूरू की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
चूरू

Scanned with OKEN Scanner

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू (राज0)

(राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विपरीत प्रतिनियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन–पत्र)

आवेदन–पत्र

1.	कर्मचारी का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	पता मय मोबाईल नं.	
5.	आयु	
6.	अर्हताएं	
7.	मूल विभाग का नाम	
8.	धारित पद	
9.	अनुभव	
10.	मूल वेतन (रनिंग पे–बैंड वेतन+ग्रेड पे–पे लेवल)	
11.	विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र (संलग्नानुसार)	

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री श्री जो पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... रू. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे–बैंड वेतन+ग्रेड पे–पे लेवल) आहरित कर रहा था/रही थी और श्री/श्रीमती के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमिति कार्मिक की पदौन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner